

Form No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम श्रीदुंगरगढ
तहसील श्रीदुंगरगढ

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,
मोहनलाल वर्गै. पुत्रगण नानूराम जाति (भादू) निवारीगण शेरुणा जिला बीकानेर बनाम नानूराम वर्गै.

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 63/2023

U/S 212 RTA

| | | |
|-------------|------------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नामा व तारीख अहकाम या हुक्म की तारीख में जारी हुई |
|-------------|------------------------------------|--|

01.06.2023

आज यह प्रार्थना पत्र मोहनलाला वर्गै, ने जरिये श्री ललित कुमार मारु अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 1273 तादादी 4.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2150/1274 तादादी 5.29 हैक्टेयर वाके रोही शेरुणा तहसील श्रीदुंगरगढ में आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 06.07.2023 को आकर पेश करें

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। प्रार्थी अधिवक्ता सीपासी आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 06.07.2023 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीदुंगरगढ

26.6.2023

आज यह पत्रावली प्रामिगण, वादीगण द्वारा भूल वाद को विद्वे किमि जानि वाबत पेशी में जोरी वादीगण द्वारा भूल वाद को विद्वे किमि जानि के कारण प्रामिना पर जा आवे नहि किमिचित्त नही रहत है, लिहाजा प्रामि का प्रामिना पर इसी स्तर पर रवारिज किमा जाला है। पत्रावली वादतन मेलि इति नम्बर नि कम होकर दाखिल दफतर हो।

मोहनराम
राज
साकरमल
ज
(निशु)